

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 05 जुलाई 2016

विषय:- एटा-अलीगंज मार्ग (एम0डी0आर0-98) किमी0 25.118 की दायीं पटरी पर ग्राम राजपुर के खसरा संख्या-171 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065336 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-8बी/यूपी/ 06/26/2016/एफसी/141, दिनांक 21-6-2016, का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में विषयगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुपालन आख्या में बिन्दु संख्या-12 के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना अत्यधिक उच्च दर से की गयी है। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की गणना उचित दर से गणना कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथापरि।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।